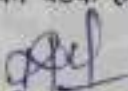


मुख्य विकास अधिकारी/

जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, डी.डब्ल्यू.एस.एम.।

सादर अवगत कराना है कि जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के DO पत्र संख्या W-JJM/68/2025-JJM-VI-DDWS, Dated 27-10-2025 (संलग्नक-क) के माध्यम से पेयजल योजनाओं के Source sustainability से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वांछित रिपोर्ट DWSM से अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित किये जाने के निर्देश हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद मऊ समस्त पेयजल परियोजनाओं का स्रोत ग्राउण्ड लेवल है। जनपद में सरफेस वाटर के अन्तर्गत कोई भी योजना आच्छादित नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के पत्रांक 437/डब्ल्यू-10 (18)/19, दिनांक 12.02.2026 के साथ कार्यदायी संस्था मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा, मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा एवं मेसर्स के०एल०एस०आर० का पत्र संलग्न है (संलग्नक-ख)। जनपद मऊ में केवल ग्राउण्ड लेवल का स्रोत है। जनपद मऊ में डैम, नदी, तालाब, झील आदि से पेयजल योजनाओं का स्रोत नहीं है।

अनुरोध है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्थाओं की रिपोर्ट का अनुमोदन/स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक हेतु कृपया तिथि एवं समय नियत करने की कृपा करें।


अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ०प्र०
जल निगम (ग्रामीण), मऊ


10/04/26
CCO
मुख्य विकास अधिकारी
मऊ

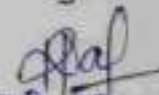
कि २४/५/२६/
5 pm onwards

मुख्य विकास अधिकारी/

जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, डी.डब्ल्यू.एस.एम.।

सादर अवगत कराना है कि जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के DO पत्र संख्या W-JJM/68/2025-JJM-VI-DDWS, Dated 27-10-2025 के माध्यम से पेयजल योजनाओं के Source sustainability से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वांछित रिपोर्ट DWSM से अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित किये जाने के निर्देश हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद मऊ समस्त पेयजल परियोजनाओं का स्रोत ग्राउण्ड लेवल है। जनपद में सरफेस वाटर के अन्तर्गत कोई भी योजना आच्छादित नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के पत्रांक 437/डब्ल्यू-10 (18)/19, दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से कार्यदायी संस्था मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा, मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा एवं मेसर्स के०एल०एस०आर० का पत्र प्राप्त है। जनपद मऊ में केवल ग्राउण्ड लेवल का स्रोत है। जनपद मऊ में डैम, नदी, तालाब, झील आदि से पेयजल योजनाओं का स्रोत नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्थाओं की रिपोर्ट का अनुमोदन/स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2026 को 5:00 PM कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से दिनांक 21.04.2026 को आयोजित उक्त बैठक स्थगित कर दी गयी है।

महोदय से सादर अनुरोध है कि कृपया जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक हेतु अग्रिम तिथि एवं समय नियत करने की कृपा करें।


अधिशासी अभियन्ता
ग्राउंड कार्यालय, उ०प्र०
जल निगम (ग्रामीण), मऊ


22/4/2026
DDO/COO

दि० 30/4/26

1 pm

अमेरिका

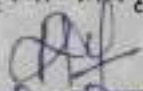

24/4/26

जिलाधिकारी
मऊ

मुख्य विकास अधिकारी/
जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, डी.डब्ल्यू.एस.एम.।

सादर अवगत कराना है कि जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के DO पत्र संख्या W-JJM/68/2025-JJM-VI-DDWS, Dated 27-10-2025 के माध्यम से पेयजल योजनाओं के Source sustainability से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। बांछित रिपोर्ट DWSM से अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित किये जाने के निर्देश है। उल्लेखनीय है कि जनपद मऊ समस्त पेयजल परियोजनाओं का स्रोत ग्राउण्ड लेवल है। जनपद में सरफेस वाटर के अन्तर्गत कोई भी योजना आच्छादित नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के पत्रांक 437/डब्ल्यू-10 (18)/19, दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से कार्यदायी संस्था मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा, मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा एवं मेसर्स के०एल०एस०आर० का पत्र प्राप्त है। जनपद मऊ में केवल ग्राउण्ड लेवल का स्रोत है। जनपद मऊ में डैम, नदी, तालाब, झील आदि से पेयजल योजनाओं का स्रोत नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्थाओं की रिपोर्ट का अनुमोदन/स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2026 को 01:00 PM कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में कार्यदायी संस्थाओं प्राप्त Source sustainability की रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए पोर्टल पर अपलोड करने एवं प्रधान कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

उक्तानुसार बैठक का कार्यवृत्त महोदय के हस्ताक्षर हेतु सादर प्रस्तुत है। अनुरोध है कि कृपया कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।


अधिशासी अभियन्ता
ग्रण्ड कार्यालय, उ०प्र०
जल निगम (ग्रामीण), मऊ



जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद मऊ में निर्मित पेयजल योजनाओं के Source sustainability से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्ट का अनुमोदन किये जाने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मऊ की बैठक दिनांक 30.04.2026 का

कार्यवृत्त।

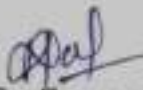
दिनांक 30.04.2026 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे-

1- जिलाधिकारी, मऊ	- अध्यक्ष
2- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ	- सदस्य
3- मुख्य विकास अधिकारी, मऊ	- सदस्य
4- मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ	- सदस्य
5- जिला विकास अधिकारी, मऊ	- सदस्य
6- अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, मऊ	- सदस्य
7- अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मऊ	- सदस्य
8- परियोजना निदेशक, डीआरडीए, मऊ	- सदस्य
9- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ	- सदस्य
10- जिला कृषि अधिकारी, मऊ	- सदस्य
11- जिला सूचनाधिकारी, मऊ	- सदस्य
12- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ	- सदस्य सचिव

जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के DO पत्र संख्या W-JJM/68/2025-JJM-VI-DDWS, Dated 27-10-2025 (संलग्नक-क) के माध्यम से पेयजल योजनाओं के Source sustainability से सम्बन्धित रिपोर्ट DWSM से अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित किये जाने के निर्देश है। बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मऊ/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मऊ समस्त पेयजल परियोजनाओं का स्रोत ग्राउण्ड लेवल है। जनपद में सरफेस वाटर के अन्तर्गत कोई भी योजना आच्छादित नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र के पत्रांक 437/डब्ल्यू-10 (18)/19, दिनांक 12.02.2026 के साथ कार्यदायी संस्था मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा, मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा एवं मेसर्स के०एल०एस०आर० का पत्र संलग्न है (संलग्नक-ख)। जिसमें अवगत कराया गया है कि उनके क्षेत्र में संचालित समस्त नलकूप पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं तथा निर्धारित मानको के अनुसार उचित एवं सन्तोषजनक डिस्चार्ज दे रहे हैं। वर्तमान में किसी योजना हेतु किसी वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता नहीं है। जनपद मऊ में केवल ग्राउण्ड लेवल का स्रोत है। जनपद मऊ में डैम, नदी, तालाब, झील आदि से पेयजल योजनाओं का स्रोत नहीं है।

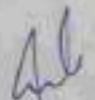
अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि Source sustainability से सम्बन्धित रिपोर्ट DWSM से अनुमोदन के उपरान्त पोर्टल पर अपलोड करते हुए हार्डकापी प्रधान कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ प्रेषित की जानी है।

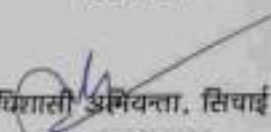
उक्तानुसार जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद मऊ में निर्मित पेयजल योजनाओं में Source sustainability से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था मेसर्स एलसी इन्फ्रा, मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा एवं मेसर्स के०एल०एस०आर० से प्राप्त रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मऊ/सदस्य सचिव के स्तर से उक्त रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने तथा हार्डकापी प्रधान कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।


अधिकासी अभियन्ता, जल
निगम (ग्रामीण) मऊ/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन, मऊ


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ/सदस्य


जिला कृषि अधिकारी,
मऊ/सदस्य


जिला सूचनाधिकारी,
मऊ/सदस्य


अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई
खण्ड, मऊ/सदस्य


अधिकासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड,
मऊ/सदस्य


परियोजना निदेशक,
डीआरडीए, मऊ/सदस्य


मुख्य विकित्साधिकारी,
मऊ/सदस्य


प्रशासकीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ/सदस्य


जिला विकास अधिकारी,
मऊ/सदस्य


मुख्य विकास अधिकारी,
मऊ/सदस्य

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन, मऊ

एसबीएम.जी (SBM-G)

दिनांक: 30 अप्रैल 2026 स्थान: कलेक्ट्रेट कार्यालय

A) ओडीएफ प्लस मॉडल एवं सत्यापन की स्थिति। कृपया निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करें:

- पिछली समीक्षा के बाद घोषित ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की संख्या तथा सत्यापित ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की संख्या
- पिछली समीक्षा के बाद सभी ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा दिलाने तथा DDWS दिशा निर्देशों के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्ययोजना
- क्या ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की ग्राम पंचायत (GP) द्वारा घोषणा के दौरान आवश्यक कौरम सुनिश्चित किया गया है?

ओडीएफ प्लस मॉडल सत्यापन की स्थिति समग्र रूप से संतोषजनक है। कुल 1,399 राजस्व ग्रामों में से 1,382 ग्रामों को पिछले वर्ष से अब तक ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम के रूप में सत्यापित किया जा चुका है, जो उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। सभी ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा दिलाने हेतु एक सुव्यवस्थित कार्य योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत DDWSM दिशा निर्देशों के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। घोषणा के समय आवश्यक संसाधनों, अवसंरचना एवं निगरानी तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, ताकि निर्धारित मानकों की पूर्ति हो सके। शेष ग्रामों को आच्छादित करने तथा जिले में ओडीएफ प्लस परिणामों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर फॉलो-अप, अंतराल (गैप) की पहचान एवं सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

B) ओडीएफ स्थिरता (व्यक्तिगत घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर):

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL):** क्या सभी परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। यदि नहीं, तो पिछली समीक्षा के बाद शेष परिवारों को कवर करने की कार्ययोजना।
- खुले में शौचमुक्त स्थिति बनाए रखने हेतु गतिविधियाँ:** शौचालय के नियमित उपयोग को सुनिश्चित करने एवं खुले में शौच को रोकने के लिए जनपद द्वारा किए गए प्रयास/गतिविधियाँ।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC):** जनपद में कुल CSC की संख्या एवं उनकी कार्यशील स्थिति। यदि सभी कार्यशील नहीं हैं, तो पिछली समीक्षा के बाद उन्हें कार्यशील बनाने की कार्ययोजना।
- संचालन एवं अनुरक्षण (O&M):** क्या सभी CSC में संचालन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था (जैसे उपयोगकर्ता समूह, व्यवसाय मॉडल आदि) उपलब्ध है। यदि नहीं, तो पिछली समीक्षा के बाद O&M व्यवस्था स्थापित करने की कार्ययोजना।

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) की कवरेज चरण-1 में 2,06,536 तथा चरण-2 में 60,728 है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। जनपद द्वारा शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने, व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने तथा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने हेतु पिछली समीक्षा के बाद से निरंतर आईईसी (IEC) गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। जनपद में कुल 645 की आवश्यकता के सापेक्ष 542 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) उपलब्ध हैं तथा सभी क्रियाशील हैं। सभी CSC में संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें उपयोगकर्ता समूह एवं सतत प्रबंधन मॉडल शामिल हैं, जिससे दीर्घकालिक उपयोगिता एवं स्वच्छता सुनिश्चित हो रही है।

C) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) संतुष्टि:

a) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- i) क्या जनपद के सभी परिवारों में जैव अपघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था घर स्तर या सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध है।
 - ii) क्या जनपद में ठोस अपशिष्ट (प्लास्टिक कचरे सहित) के प्रबंधन हेतु पर्याप्त संख्या में कंपोस्टिंग इकाइयाँ, कचरा पृथक्करण शेड (सेग्रिगेशन शेड) तथा कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध हैं।
 - iii) क्या जनपद के सभी विकास खंड ग्रामीण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (PWMU) से आच्छादित हैं तथा/या प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु निकटतम शहरी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) से मैप किए गए हैं।
 - iv) क्या सभी सार्वजनिक संस्थान (जैसे विद्यालय, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल आदि) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था से आच्छादित हैं।
- जनपद में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की व्यापक व्यवस्था लागू की गई है। घर-घर स्तर पर जैव अपघटनीय एवं अजैव अपघटनीय कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसे डोर-टू-डोर कलेक्शन एवं समुचित वाहन प्रबंधन द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सभी परिवारों में जैव अपघटनीय कचरे के प्रबंधन हेतु घरेलू अथवा सामुदायिक कंपोस्टिंग इकाइयों की व्यवस्था उपलब्ध है तथा जनपद में पर्याप्त संख्या में कंपोस्टिंग इकाइयों संचालित हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सभी विकास खंडों में सुनिश्चित किया गया है, जिसमें कचरे का संग्रहण, पृथक्करण एवं निकटतम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) तक परिवहन किया जा रहा है। जनपद में 2 प्लास्टिक कवेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PWMU) एवं 353 रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC) स्थापित किए गए हैं, जिससे अपशिष्ट प्रसंस्करण को सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, कचरा संग्रहण एवं परिवहन को प्रभावी बनाने हेतु ई-रिकवरी संचालित किए जा रहे हैं। सभी संस्थान, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय एवं धार्मिकस्थल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था के अंतर्गत आच्छादित हैं।

b) ग्रेवाटरप्रबंधन (Grey Water Management)

- i) जनपद के सभी परिवारों में ग्रेवाटर प्रबंधन की समुचित व्यवस्था घर स्तर अथवा सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध है।
 - ii) सभी सार्वजनिक संस्थान (जैसे विद्यालय, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल आदि) ग्रेवाटर प्रबंधन व्यवस्था से आच्छादित हैं।
- जनपद के सभी परिवारों में ग्रेवाटर प्रबंधन की व्यवस्था घर या सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध है। विद्यालयों, पंचायत भवनों एवं धार्मिक स्थलों सहित सभी सार्वजनिक संस्थान इस व्यवस्था के अंतर्गत आच्छादित हैं। ग्रामों में ग्रेवाटर के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु फिल्टर चैंबर, सिल्ट कैचर एवं किचन गार्डन का उपयोग किया जा रहा है।

c) फीकलस्लजप्रबंधन (Faecal Sludge Management)

- i) जनपद के सभी ग्रामों में सेप्टिक टैंक/सिंगल पिट के यांत्रिक डीस्लजिंग की व्यवस्था उपलब्ध है।
- ii) सभी ग्रामयातो 100% द्विपिट शौचालय से आच्छादित हैं अथवा फीकल स्लज के उपचार हेतु एफएसएम (FSM) ट्रीटमेंट प्लांट - STP/FSTP से जुड़े हुए हैं।
- iii) जिन शौचालयों में सिंगलपिट/सेप्टिक टैंक बिना सोकपिट के पाए गए हैं, उन्हें जहाँ संभव हो, रेट्रोफिट किया गया है।

सभी ग्रामों में फीकल स्लज प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है, जहाँ 100% टिनपिट शौचालय एवं लीचपिट का उपयोग हो रहा है। बिना सोकपिट वाले सिंगलपिट/सेप्टिकटैंक की पहचान कर उन्हें जहाँ संभव हुआ, रेट्रोफिट किया गया है, जिससे सुरक्षित स्वच्छता सुनिश्चित हो सके।

D) स्वच्छता अवसंरचना की कार्यक्षमता एवं संचालन एवं अनुरक्षण (Functionality and Operation & Maintenance of Sanitation Infrastructure)

a) कार्यक्षमता (Functionality)

निम्नलिखित डेटा SBM-G (MIS) से प्राप्त / जनपद द्वारा भरा जाना है:

परिसंपत्तियाँ (Assets)	उपलब्ध परिसंपत्तियों की संख्या	कार्यशील परिसंपत्तियाँ	गैर-कार्यशील /लंबित	पिछली समीक्षा के बाद कार्यशील बनाई गई	अगले माह कार्यशील बनाने की योजना
सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC)	642	535	107	15	20
सेप्टिकेशन बोर्ड	353	305	48	20	28
परिष्करण हेतु वाहन	1818	1250	568	110	458
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ (PWMU)	3	2	1	2	0
गोबर धन प्लांट	1	1	-	-	-
ट्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली	14175	10500	3675	2000	1675

b) संचालन एवं अनुरक्षण (O&M)

स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था निम्न माध्यमों से की जा रही है:

- स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- पंचायतें
- निजी एजेंसी/ठेका मॉडल
- गैर-सरकारी संगठन (NGOs)
- अन्य (कृपया उल्लेख करें)

स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन एवं अनुरक्षण का प्रबंधन स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं पंचायतों द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों का रखरखाव, नियमित सफाई एवं निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

E) निधि/संसाधनों का अभिसरण (Convergence of Funds/Resources)

- ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाएं (PRIs), महिला एवं बाल विकास (WCD), स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों के साथ अभिसरण की समीक्षा।
- मनरेगा (MGNREGA), DMF, बिजनेस, MPLAD आदि से प्राप्त अभिसरण निधियों के उपयोग की समीक्षा।

विभिन्न विभागों के साथ नियमित समन्वय के माध्यम से निधि एवं संसाधनों का प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित किया जा रहा है। पंचायत निधियों का उपयोग छोटे मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर आईईसी एवं जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। समग्र रूप से अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग, समयबद्ध कार्यान्वयन एवं योजनाओं की स्थिरता सुदृढ़ हुई है।

F) दृश्य स्वच्छता एवंआईईसी संदेश (Visual Cleanliness and IEC Messages)

- i) क्या ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य स्वच्छता बनाए रखी जा रही है।
- ii) क्याओडीएफ प्लस से संबंधित आईईसी संदेश वॉलपेंटिंग, होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रदर्शित हैं।

ग्रामों एवं सभी सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य स्वच्छता अच्छी तरह से बनाए रखी जा रही है। स्वच्छता एवं स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु आईईसी संदेश वॉलपेंटिंग एवं होर्डिंग के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवनों पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किए गए हैं।

G) क्षमता निर्माण (Capacity Building)

- i) जनपद/विकास खंड स्तर के कार्मिकों, ग्राम पंचायतों, VWSCs एवं सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्थिति।
- ii) प्रशिक्षण कैलेंडर एवं उपयोग किए जा रहे मॉड्यूल।
- iii) PRI प्रतिनिधियों, राजमिस्त्रियों, महिला SHGs एवं अन्य स्थानीय हितधारकों का क्षमता निर्माण।

जनपद एवं विकास खंड स्तर पर नियमित रूप से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों, VWSCs एवं समुदाय को O&M, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं आईईसी गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।


डीपीआरओ
जनपद - मऊ